Volume-6, No. 1, Feb-2019, pp. Hin. 06-10

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के विकास में स्वायत्तशासी संस्थाओं का योगदान

डॉ0 डी0पी0 मिश्र, (एसोशिएट प्रोफेसर)
कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एण्ड सोशल साइन्सेस,
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश भारत।
मिस. सुवृत्ता दीक्षित (शोध छात्रा)

शिक्षा व्यक्ति के सर्वागींण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का कारक बनता है। माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इस महत्व को वुड के घोषणा पत्र तथा हण्टर आयोग ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया किन्तु यह कार्य अत्यधिक व्यवसाध्य था अतएव सरकार ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों तथा निजी प्रबन्ध समितियों को आर्थिक अवलम्बन देकर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास किया।
माध्यमिक शिक्षा भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय थी किन्तु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। जिससे वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें राष्ट्र के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयत्नशील हैं।

मुख्य शब्द– स्वायत्तशासी संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्वरूप में शैक्षिक विकास ब्रिटिश काल में आरम्भ हुआ। तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टोमासन ने आठ जनपदों– मथुरा, आगरा, बरेली, इटावा, फर्रूखाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ तथा शाहजहाँपुर में नारमल स्कूल स्थापित किये। जिनमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय खोलने वाली संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासकीय सहायता भी उपलब्ध करायी। इन विद्यालयों के लिए वुड के घोषणा पत्र तथा हण्टर आयोग ने भी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाया। सेडलर आयोग 1917 की अनुशंसा के आधार पर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा को पृथक कर दिया गया। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रान्त माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया जो आज भी हमारे शैक्षिक प्रशासन का संविधान माना जाता है। इस अधिनियम में विद्यालयों की व्यवस्था तथा उनके प्रबन्ध पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें भी वित्तीय सहायता के आधार पर संचालित अनुदानित विद्यालयों के प्रबन्धन पर व्यवस्था दी गई है।

संयुक्त प्रान्त में मार्च 1923 ई0 में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से पृथक कर दिया गया। अप्रैल 1939 में शिक्षा विभाग को सचिवालय से पृथक् कर एक अलग विभाग बनाया गया। जून 1947 में ''डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन'' का नाम बदलकर ''डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन'' तथा बाद में ''शिक्षा निदेशक'' कर दिया गया। 1972 ई0 तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षा निदेशक के आधीन थी। शिक्षा में बढ़ते कार्यो, विद्यालयों एवं नये–नये प्रयोगों के कुशल संचालन हेतु 1972 में शिक्षा निदेशालय को विभाजित कर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च तीन नये निदेशालय बनाये गये।[(1)] 1986 में जारी की गई नई शिक्षा नीति में समाज के समावेशी शैक्षिक विकास पर जोर दिया गया। साथ ही समाज के आर्थिक विकास को भी दृष्टिगत रखते हुये रोजगारोन्मुख शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया।

शैक्षिक संस्थाएँ मूलतः दो प्रकार की होती हैं– प्रथम राजकीय, द्वितीय स्वायत्तशासी। राजकीय संस्थायें प्रत्यक्षतः राज्य के शिक्षा निदेशालय के आधीन होकर कार्य करती हैं वहीं स्वायत्तशासी संस्थाएँ राज्य के नियमों का अनुपालन करते हुये अपने आन्तरिक शैक्षिक प्रशासन में स्वायत्त होती हैं। ये संस्थाएँ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित तथा स्वक्तिपोषित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसी प्रकार स्थानीय निकायों की शैक्षिक संस्थाये भी स्वायत्तशासी मानी जाती हैं। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएँ अपनी सीमाओं के अन्तर्गत शिक्षा के प्रसार व विकास में सहायक होती हैं। उनका प्रशासन राज्य व केन्द्रीय शासन के नियमों के अनुसार किया जाता है।

भारत के प्रत्येक राज्य, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा–संस्थाओं का स्वरूप तथा स्तर सामान्यतः एक सा ही है। थोड़ा बहुत परिवर्तन केवल छावनियों द्वारा संचालित

विद्यालयों में दृष्टिगत होता है। स्थानीय निकायों का शैक्षिक प्रशासन सन् 1950 तक अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र था। इन संस्थाओं मे शिक्षा सम्बन्धी दायित्व के निर्वाह हेतु शिक्षा विभाग अलग से था। स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा के जिस स्वरूप का विकास किया गया वह जनतंत्रीय गणराज्य के आधारभूत बुनियाद पर टिका हुआ था आज भी उसी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा–प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप व पाठ्यक्रम निर्धारित किया। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी की गई। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का स्वरूप जनतंत्रीय गणराज्य की आधारभूत बुनियाद पर टिका हुआ है। उसी के परिपेक्ष में शिक्षा–प्रक्रिया संचालित है। परिवर्तन के अनुसार तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा प्रसार में स्वायत्तशासी संस्थाओं का अपना अलग स्थान है। नियोजन के आधार पर सम्पूर्ण आय का जो हिस्सा शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार तय करती है वह हिंसा राज्य सरकारों में पहुँचकर क्षेत्रीय व्यवस्था के अर्न्तगत शिक्षा की विविध श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय किया जाता है। उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा पर। यह धन परिषदों, नगर पालिकाओं, कैन्ट में वितरित कर दिया जाता है। परन्तु व्यय–भार के अनुसार उनको स्वयं के श्रोतों के द्वारा अर्जित करने के लिए संसाधनों को जुटाना है। अधिकतर व्यय प्राइमरी शिक्षा पर होने के कारण माध्यमिक शिक्षा पर व्यय भार उठाने में असमर्थ है। इसके साथ ही इनके द्वारा संचालित संस्थाओं की संख्या भी कम है। इस स्थिति में निजी व व्यक्तिगत प्रयास किये जा रहे हैं व इस स्थिति में निजी व प्रबन्धकीय विद्यालयों का उदय हुआ जोकि अपने स्रोतो से माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व विकास में क्रियाशील हैं। ये विद्यालय शासन द्वारा सम्बन्धता प्राप्त होते है तथा वे शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न बोर्ड जैसे– सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0सी0 द्वारा निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त यू0पी0 बोर्ड से सम्बन्धित विद्यालय भी अनुमानित के अतिरिक्त स्ववित्तपोषी कक्षाओं का संचालन करते हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 12766 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे है जिसमें 548 राजकीय तथा 12218 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें 4474 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 7744 वित्तविहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इन माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 67.64 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।[(2)]

स्ववित्तपोषी संस्थाओं का प्रबन्धन व्यक्तिगत व अन्य ट्रस्टों के द्वारा संचालित हैं। स्ववित्तपोषी संस्थाओं की संख्या अनुदानित व सरकारी विद्यालयों की संख्याओं से अधिक है जैसा कि मण्डलीय स्तर पर निर्गत जनपद स्तर पर चलने वाली संस्थाओं के आँकड़ों से दर्शित है। इन विद्यालयों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप योगदान अधिक है।

निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित विद्यालयों का शैक्षिक व भौतिक पर्यावरण नगर पालिका महापालिका द्वारा संचालित विद्यालयों से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रेरक होता है। शिक्षण अति प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी व पाठ्येत्तर क्रियाऐं भी प्रभावशाली रूप से संपादित होती हैं। यह प्रभाविकता आय तथा व्यक्तिगत सर्वेक्षण के कारण होता है। इन विद्यालयों में सेमिनार व कार्यशालाएँ मण्डलीय व जिला स्तर पर आयोजित होती हैं जिसमें भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। निजी विद्यालयों के अध्यापकों को NCERT द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने को भेजा जाता है परन्तु शासकीय व नगर महापालिका व ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों द्वारा संचालित विद्यालय के अध्यापक इन शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने को अभिप्रेरित नहीं होते, इसका कारण वांछित सूचना न होना तथा भाग लेने के लिए एक जटिल–प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें उन्हें विभिन्न स्तर से अनुमति लेनी होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों की कभी भी अवरोध उत्पन्न करती है। स्ववित्तपोषी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षा इन विद्यालयों के अध्यापकों को शैक्षिक कुशलता सम्बन्धी ज्ञान विलम्ब से प्राप्त होता है। जिससे उनकी शिक्षण–कुशलता प्रभावित होती है। इस प्रकार यह दृष्टिगत है कि स्वायत्तशासी निजी संस्थाओं का माध्यमिक शिक्षा में अप्रतिम योगदान है जहाँ निजी स्रोतों से प्राप्त धन आवश्यकतानुसार शासकीय संस्थाओं की अपेक्षा व्यय भी है जोकि वित्तीय विकेन्द्रीकरण के अर्न्तगत किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया क्योंकि यह महाविद्यालयी व पूर्ण माध्यमिक के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या वृद्धि के कारण माध्यमिक शिक्षा केवल शासन के द्वारा नहीं प्रदान की जा सकती अतः यह निजी, स्थानीय व स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही है। इसमें धार्मिक व्यक्तिगत व राजनैतिक संस्थाऐं भी सम्मिलित हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने यह आवश्यक समझा कि इन

विद्यालयों का सबन्धन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाये व परीक्षा मूल्यांकन व पाठ्यक्रम सम्बन्धित शैक्षिक बोर्डो द्वारा हो। इस प्रकार वर्तमान में भी माध्यमिक शिक्षा निजी हाथों सुचारू रूप से संचालित हैं जिसमें शासन को सहयोग अंश में है। यह व्यवस्था विभिन्न स्वतंत्र पश्चात शिक्षा आयोग एक शिक्षा नीति 1986 के परिपेक्ष्य में समाचीन है।

शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से की गई। 1949 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग स्थापित किया गया जिसके अर्न्तगत यह अपेक्षा की गई कि पूँजी एवं मानव साधनों के संतुलित उपयोग के लिए योजना निर्माण करें फलस्वरूप 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की गई। जिसमें शिक्षा के विकास के लिए व्यय 1512 मिलियन की धनराशि रखी गई जिसमें माध्यमिक शिक्षा पर 8.3 करोड़ रूपया खर्च करने का प्राविधान है। इस प्रकार विभिन्न पंचवर्षीय याजनाओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता गया जोकि निम्न तालिका से दर्शित है।

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर योजना खर्च[3]

क्षेत्र	प्रथम योजना खर्च 1951–56	द्वितीय योजना खर्च 1956–61	तीसरी योजना खर्च 1961–66	योजना अवकाश खर्च 1966–69	चौथी योजना खर्च 1969–74	पाँचवी योजना खर्च 1974–79	छठी योजना खर्च 1980–85	सातवीं योजना खर्च 1985–90	योजना अवकाश खर्च 1990–92	आठवीं योजना खर्च 1992–97	नवीं योजना खर्च 1997–02	दसवीं योजना खर्च 2002–07
प्रथमिक शिक्षा	58 870	35 950	34 2010	24 750	50 3743	52 5913	32 28494	37 28494	37 17290	48 103940	65.7 145233	65.6 287500
माध्यमिक शिक्षा	5 83	19 510	18 1030	16 530	a	a	20 5344	24 18315	22 10530	24 52311	10.5 23227	9.9 43250
प्रौढ़ शिक्षा	–	–	–	–	2 126	2 248	6 1533	6 4696	9 4160	5 11421	2.4 5204	2.9 12500
उच्च शिक्षा	8 117	18 480	15 870	24 770	25 1883	28 3188	21 5604	16 12011	12 5880	10 20944	10.3 22709	9.5 41765
अन्य	15 227	10 300	12 730	11 370	13 936	9 1071	11 2724	3 1980	2 1180	3 7398	1.6 3492	1.4 6235
तकनीकी शिक्षा	14 215	18 490	21 1250	25 810	10 786	9 1015	10 2563	14 10833	17 8230	10 21987	9.5 21095	10.7 47000
योग	100 1512	100 2730	100 5890	100 3230	100 7474	100 11435	100 26187	100 76329	100 47270	100 218001	100 230969	100 438250

1. काली छपी संख्याएँ सम्पूर्ण व्यय का प्रतिशत है।
2. सभी दी गई संख्याएँ दस लाख रूपये में है।

विभिन्न योजनाओं में उपलब्धियाँ[4]

विवरण	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1983–84	1990–91[2]	2003–04[3]	2006–07[4]
कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या (लाखो में)	191.5	251.7	349.9	504.7	814	991.0	1283	1763.4
कक्षा 6 से 8 में छात्रों की संख्या (लाखो में)	32.2	42.9	67.0	105.3	254.4	333.0	487	
कक्षा 9 से 12 में छात्रों की संख्या (लाखो में)	12.2	18.8	28.9	50.4	156.7	209.0	315	
विश्वविद्यालय स्तर पर (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य में छात्रों की संख्या)	3.6	6.3	8.9	14.9	35.3	44.0	–	7,79482 इनमें शिक्षक 4 52,18,570 थे
प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2,09,671	2,78,135	3,30,399	3,91,064	5,09,143	5,58,392	–	
मिडिल स्कूलों की संख्या	13,596	21,730	49,663	75,798	1,26,345	1,46,636	–	
हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या	7,288	10,838	17,257	27,477	55,235	78,619	–	
विश्वविद्यालय की संख्या	27	32	45	64	121	189	–	

स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक व्यय (1950–1998)

क्रमांक	सन्	नगर महापालिका	जिला परिषद	योग
1.	1950	19797619	25844695	45642314
2.	1955	22587170	38680022	59267192
3.	1960	27162646	40568653	67731599
4.	1965	32141035	51071476	83752511
5.	1970	42973897	59377928	102351875
6.	1975	46844833	67568874	114423707
7.	1980	62105522	76350763	138456285
8.	1982	76867681	78034190	154901871
9.	1990	74885222	73152620	143868522
10.	1998	101228568	79214688	180443256

सांख्यिकी सारांश (उ0प्र0) 2001
राजनियोजन संस्थान

भारत वर्ष में स्वायत्तशासी संस्थाओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तशासी संस्थाऐं किसी न किसी रूप में व्यवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ी है जिसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है। जिलों की अधिक संख्या होने के कारण इनको मंडल में बाँटा गया प्रस्तुत शोध पत्र में कानपुर तथा फैजाबाद मंडल के विभिन्न जिले में चलने वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं को अध्ययन हेतु लिया गया है जिसमें 6 जिले आते हैं। प्रत्येक जिले में नगर पालिका व जिला परिषद कार्यरत है। कुछ जनपदों में जहाँ रक्षा सम्बन्धी संस्थाऐं स्थापित है। वहाँ छावनी परिषद आवश्यकतानुसार शिक्षा के प्रसार को देखती हैं। कानपुर तथा फैजाबाद मंडल के अन्य जिलों में केवल नगर पालिका तथा जिला परिषद कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में 1950–1972 तक 22 नगर पालिकाऐं कार्यरत थीं। नगर की संख्या बढ़ने से इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई क्योंकि प्रत्येक नगर में नगर पालिकाऐं कार्यरत है इनकी संख्या लगभग 80 है। कानपुर मण्डल के 2011 तक शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 30 हैं जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त 416 व वित्तविहीन विद्यालय जोकि निजी प्रबन्धन अथवा निजि संस्थाओं द्वारा संचालित है उनकी संख्या 1224 है। इसी प्रकार फैजाबाद मंडल में अशासकीय सहायता प्राप्त 350 तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लगभग 800 विद्यालय संचालित हैं, इससे यह दृष्टिगत है कि स्वयत्तशासी संस्थाओं का माध्यमिक शिक्षा में अत्यधिक योगदान है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सरकारी व महापालिका द्वारा संचालित विद्यालय अपर्याप्त है कानपुर मण्डल में केवल कानपुर नगर में केवल एक डिग्री कॉलेज व 6 माध्यमिक विद्यालय महापालिका द्वारा संचालित है। अन्य जूनियर हाईस्कूल हैं। यह संस्थाऐं केवल कानपुर की ही जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा विकास में कम प्रभावी हैं। इस परिस्थिति में जनसंख्या वृद्धि, छात्रों की संख्या बढ़ने से व संविधान में प्रत्येक को शिक्षा प्रदान करने की निजी संस्थागत संस्थाऐं अधिक क्रियाशील हैं। ये संस्थाऐं वित्तीय व्यय भार स्वयं ही उठाती हैं इनके अतिरिक्त असहायता प्राप्त विद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार स्वायत्तपोषी कक्षाऐं चलायी जाती है जोकि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। फैजाबाद मंडल में भी असहायता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। अशासकीय व शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन धनराशि विभिन्न स्वरूपां में दी जाती है फिर भी इन विद्यालयों की अपेक्षा स्वायत्तशासी विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक है यह स्वयं में भी प्रश्नगत है।

2004–05 में माध्यमिक शिक्षा– नामांकन तथा बीच में पढ़ाई

छोड़ने वाले छात्रों की स्थिति

नामांकन (करोड़ में)	लड़के	लड़कियाँ	योग
1. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 व 10)	1.42 (57.39)	1.01 (45.28)	2.43 (51.65)
2. उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 व 12)	0.74 (30.82)	0.53 (24.46)	1.27 (27.82)
3. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक(कक्षा 9 व 12)	2.16 (44.26)	1.54 (35.05)	3.70 (39.91)
4. बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत	60.41	63.88	61.92

1993–94 से 2004–05 तक

विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति (1993–94 से 2004–05 तक)

प्रबन्ध के आधार पर	1993–94	2001–02	2004–05
1. शासकीय माध्यमिक विद्यालय	47%	42%	41%

2. असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	15%	24%	30%
3. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	38%	34%	29%

प्रबन्धकीय व निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा, विद्यालयों में किया जाने वाला व्यय भार की जानकारी उनकी अपनी निजी व्यवस्था के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार यह परिलक्षित है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अधिक है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले उतने नहीं थे जितने कि आज है जबकि उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग उत्तरांचल के नाम से पृथक हो चुका यद्यपि देश में प्रगतिशीलता के साथ पुरानी समस्याऐं समाप्त होती जाती है परन्तु समय अन्तराल के साथ नवीन समस्याऐं भी उत्पन्न होती है जिनके हल हेतु प्रयत्नशील होना आवश्यक है जनसंख्या वृद्धि के साथ समस्यायें भी बढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में के0जी0 सैयदन के यह विचार प्रासांगिक है कि 'शैक्षणिक क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के आम ढर्रे' के प्रति असंतोष रहा है जिसके लिए रचनात्मकता अपनाना आवश्यक है। ये देखने में आया है कि माध्यमिक शिक्षा वर्तमान, तकनीकी वैज्ञानिक व सूचना प्रौद्योगिकी व वैश्वीकरण के परिपेक्ष में गतिहीन रही यद्यपि परिवर्तन हो रहा है 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, पाठ्य–पुस्तक आदि के परिवर्तन पर बल दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा का भी विस्तार हुआ जिसमें भारत सरकार ने 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद' की सहायता से माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं प्रसार के लिए कदम उठाये गये। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण में गुणात्मकता विकसित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का विस्तार किया गया। सन् 1963–64 में राज्य शिक्षा संस्थाओं का इस दिशा में प्रयासरत रहे। हैदराबाद में सन् 1958 में 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंगलिश' अंग्रेजी की शिक्षा के पुर्ननिर्धारण एवं शिक्षण–विधियों को विकसित करने में संलग्न हैं। इनके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों को व छात्रोंपयोगी पुस्तकों के निर्माण के लिए 'केन्द्रीय पाठ्य–पुस्तक अनुसंधान कार्यरत हैं।' शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के राज्य कार्यालय जो कि परामर्श निर्देशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते है। 'राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान' में विज्ञान शिक्षण विभाग में विज्ञान शिक्षा के सुधार व विकास में संलग्न है। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई जिनमें केन्द्रीय व रक्षा कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में सामान्य नागरिकों के बालकों को कुछ प्रतिशत इन विद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जाने लगा यह विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इन केन्द्रीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम व शिक्षा का माध्यम समान है। इन विद्यालयों के प्रशासन के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित की गई इनके अतिरिक्त अन्य विद्यालय भी जो इनसे परीक्षा कराना चाहते हैं को इनसे सम्बन्धित किया गया।

माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है कि 'स्कूल वृहद समुदाय के अर्न्तगत छोटा समुदाय है जिसमें वैसे ही दृष्टिकोण, मान्यतायें व व्यवहार की विधियाँ प्रचलित होनी चाहिये जैसी– राष्ट्रीय जीवन में प्रचलित है, अतः यह आवश्यक है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं की वृद्धि के साथ इन संस्थाओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय व नैतिक मूल्यों की वृद्धि में अपना योगदान करें क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है अतः डॉ0 जाकिर हुसैन के मतानुसार माध्यमिक विद्यालयों के विषय में माध्यमिक विद्यालय किसी भी प्रकार के हो यह नीति घोषित की हमारी शिक्षा संस्थाऐं– क्रियाशील सामुदायिक केन्द्र होंगी। अतः वर्तमान में यह दृष्टिकोण है कि स्वयत्तशासी संस्थाओं का माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व विकास में योगदान जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में है परन्तु इनको राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी सहभागिता निभानी चाहिये। वित्तीय समस्याओं को अपने स्तर से अपने स्रोतों द्वारा निराकरण करना चाहिये।

संदर्भ

1. उत्तर प्रदेश–2006, राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित, पृ0–450
2. उत्तर प्रदेश–2006, राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित, पृ0–451
3. भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें– पी0डी0 पाठक, अग्रवाल पब्लिकेशन, वर्ष, 2010–11
4. भारत–2008, पृ0–253–291